फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री प्रकाश **विपक्षी : शांतिलाल**

किस्म मुकदमा – 212 रा.का. अधिनियम **पत्रावली संख्या : 96/19**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 31.12.2021 पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान–2021 कैम्प घासा में पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। प्रकरण में विपक्षी अधिवक्ता को पर्याप्त अवसर दिये जाने के बाद भी जवाब पेश नहीं किया। उभय पक्षकारान को सुना गया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान के तर्क सुने। प्रार्थनाग्रस्त भूमि के प्रार्थी खातेदार काश्तकार हैं। विपक्षी उक्त भूमि के खातेदार नहीं हैं। प्रकरण में प्रार्थी/वादी द्वारा स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया हैं उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया हैं। प्रकरण में दिनांक 15.09.2020 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर उभय पक्षकारान को मौके की यथास्थिति हेतु पाबंद किया जा चुका हैं। प्रार्थी खातेदार होने एवं विपक्षी खातेदार नहीं होने से विपक्षी को प्रार्थी की भूमि में दखलन्दाजी करने का कोई अधिकार नहीं हैं। अतः पूर्व में शांति व्यवस्था कायमी हेतु उभय पक्ष को दिनांक 15.09.20 को पाबंद किया जा चुका है जिसे मूल के निस्तारण तक कन्फर्म किया जाना न्यायहित में उचित हैं। **:: आदेश ::** उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार किया जाता है कि मौजा घासा पटवार हल्का घासा की आराजी नम्बर 4822 रकबा 9 बिस्वा भूमि में उभय पक्षकारान मूल वाद के निस्तारण तक मौके की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय सुनाया गया। **(मयंक मनीष I.A.S.)** **सहायक कलक्टर** **(SDO)मावली** Signature Not Verified Digitally signed by Mayank Manish Date: 2022.01.21 11:11:12 IST Reason: SelfAttested	